


दिनांक 28.01.2014

नौवहन महानिदेशालय		
	प्रशिक्षण अनुभाग	आई.एस / आई.एस ओ खण्ड संख्या.7.1
संदर्भ: क्यु.एम.एस: ई.ए.सी. क्यु.पी-07-1 पृष्ठ संख्या 2	विषय:- ग्रेजुएट(जी एमई) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्षीय समुद्र पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए पात्रता का मानदंड	फाइल संख्या टीआर/इजी17(2)/2006 प्रशिक्षण अनुभाग
नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	2012 के प्रशिक्षण परिपत्र सं0 5 का शुद्धिपत्र	दिनांक 28 जनवरी,2014

2012 के दिनांक 07.09.2012 के प्रशिक्षण परिपत्र सं0 5 के क्रम में, उक्त परिपत्र के पैरा 2 को यह पढ़ा जाए,-----

2. इन शर्तों को समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल तथा ऑटोमेशन डिग्री धारक अभ्यर्थियों के मैकेनिकल ग्रेजुएट पाठ्यक्रम हेतु एक वर्षीय समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण में नामांकन करने से पहले उनके ध्यान में लाया जाएगा तथा वही उक्त शर्तें संबंधित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किए जानेवाले उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र में दर्शाया जाएगा। ऐस अभ्यर्थियों की अलग सूची संबंधित संस्थानों द्वारा वाणिज्य पोत विभाग (समुद्रीय वाणिज्य विभाग) के अधिकार क्षेत्र को भेजी जाए।

3. यह यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानक) नियम, 1998 के अध्याय 9 नियम 47 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



( आशा मोहम्मद )

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रती:

- 1) सभी मान्यता प्राप्त समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान
- 2) मुख्य कार्यालय समुद्रीय वाणिज्य विभाग, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कोची
- 3) इन्सा/ फोस्मा/ मासा/ सीसीएसए/ एमयूआई
- 4) शिपिंग मास्टर, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई
- 5) इन्डोस कक्ष नवभवन मुंबई
- 6) मुख्य सर्वेक्षक, "भारत सरकार"
- 7) नॉटिकल सलाहकार, "भारत सरकार"
- 8) कू अनुभाग
- 9) कम्प्यूटर कक्ष
- 10) गार्ड फाइल
- 11) नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव